

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE- EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION
OLD SECRETARIAT, DELHI-110 054.

No. F.15 (172)/DE/Act-I/2010/ 20109-20123

Dated: - 30/12/13

NOTIFICATION

No. F. 15(172)/DE/Act-I/2010_____ :- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Delhi School Education Act, 1973 (18 of 1973) read with rule 43 of the Delhi School Education Rules, 1973 and under the provisions of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following Order to amend the Delhi School Education (Free Seats for students belonging to Economically Weaker Sections and Disadvantaged Group) Order, 2011 published vide Notification No. 15(172)/DE/Act/2010/69 dated 07.01.2011 as amended up to date namely:-

1. Short title and commencement- (i) This Order may be called the Delhi School Education (Free Seats for students belonging to Economically Weaker Sections and Disadvantaged Group) Amendment Order, 2013.

(ii) It shall come into force with immediate effect.

2. In Clause 3 for sub-clause (a) and (aa), the following clauses shall be substituted, namely:-

(a) "All schools shall admit children, in class one to the extent of at least twenty-five percent of the strength of that class, from children belonging to weaker sections and disadvantaged groups in neighborhood and provide free and compulsory elementary education till its completion.

Provided that where such school imparts pre-school education, the provisions shall apply for admission to such pre-school education:

Notwithstanding supersession of order no. F.DE/15/ACT/2006/424 dated 25.01.2007 the school (including minority) which were allotted land by the government shall also admit children from economically weaker section in neighborhood to the extent of twenty percent in all fresh admissions made in other classes above the entry level in the same manner as provided in this Directorate's notification dated 07.01.2011.

Provided further that the above provisions of 20% admission shall also be applicable at entry level for minority schools which were allotted land by the government agency."

3 (a a)

"The students admitted to Economically Weaker Sections and Disadvantaged Group Category shall be entitled for free books, uniform and writing material etc. in terms of rule 8 of RTE rules, 2011 and such students are not required to pay for any kind of charges for these requirements."

3. After clause 3 (a a), new clauses (a b) and (a c) shall be inserted, namely:-

"3 (a b)

In view of the Hon'ble Supreme Court's judgment dated 12.04.2012 in WP (c) No. 95/2010 in the matter of Society for Unaided Private Schools of Rajasthan V/s Union of India & Anr., the provisions section 12 (1)(C) of RTE Act, 2009 shall not apply to unaided minority schools.

3 (a c)

In view of the Hon'ble Delhi High Court's Order dated 24.09.2012 and 04.12.2012 in WP (C) No. 6439/2011 in the matter of Mahipal Sawaria Vs Director (Education) and WP (C) No. 3715/2011 in the matter of Ashok Kumar Thakur Vs GNCTD & Ors, those minority schools, which have been allotted land by the Government agencies at concessional rates, shall admit children belonging to Economic Weaker Section Category under free seats to the extent of 20 % in terms of notification no.F.DE/15/Act/2006/424 dated 25.01.2007 and shall get reimbursement at par with students of the government schools for expenditure on account of uniform and books."

**By order and in the name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,**


30.12.13

**(Dr. MADHU RANI TEOTIA)
ADDITIONAL SECRETARY (EDUCATION)**

No.F.15(172)/DE/Act/2010/ 20109-20123 Dated :- 30/12/13

Copy to :-

1. Secretary, MHRD, Govt. of India.
2. Pr. Secretary to Lieutenant Governor, GNCT of Delhi.
3. Pr. Secretary to Chief Minister, GNCT of Delhi.
4. Secretary to Minister of Education, GNCT of Delhi.
5. OSD to Chief Secretary, GNCT of Delhi.
6. Secretary (Education), GNCT of Delhi.
7. Director (Education), GNCT of Delhi.
8. Director (Education), Municipal Corporation of Delhi.
9. Director (Education), New Delhi Municipal Council.
10. Chief Executive Officer, Delhi Cantonment Board.
11. Director, Directorate of Information and Publicity, GNCT of Delhi.
12. All Addl. Directors/RDEs/JDEs/DDEs/ADEs, Dte. of Education, GNCT of Delhi.
13. All Branches Incharges, Dte. of Education, GNCT of Delhi.
14. OS (IT) with the request to place it on the website of Directorate of Education.
15. Guard file.


30.12.13

**(Dr. MADHU RANI TEOTIA)
ADDITIONAL SECRETARY (EDUCATION)**

(दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग - 4 में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054

संख्या एफ.15(172)/डी.ई./अधि.-1/2010/20109-20123 दिनांक 30/12/2013

अधिसूचना

संख्या एफ.15 (172)/डी.ई./अधि./2010-दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियमावली, 1973 के नियम 43 के साथ पठित दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम 1973 (1973 का 18वां) की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिनांक 7.01.2011 की अधिसूचना संख्या एफ.15(172)/डी.ई./अधि./2010/69 के अनुसार प्रकाशित दिल्ली स्कूल शिक्षा (आर्थिक रूप से कमजोर तथा लाभहीन वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क सीटें) आदेश 2011 अद्यतन संशोधित में निम्नलिखित संशोधन का आदेश करते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

- (1) इस आदेश को दिल्ली स्कूल शिक्षा (आर्थिक रूप से कमजोर तथा लाभहीन वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क सीटें) संशोधन आदेश, 2013 कहा जायेगा ।
 - (2) यह तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा ।
2. खण्ड 3 के उपखण्ड (क) और (कक) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-
- (क) "सभी विद्यालय कक्षा प्रथम में निकटवर्ती क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर तथा लाभहीन वर्ग से सम्बन्धित बच्चों को उस कक्षा की संख्या बल का कम से कम 25 प्रतिशत तक प्रवेश देंगे तथा उनकी प्रारंभिक शिक्षा के पूरा होने तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे ।

शर्त यह है कि जहां ऐसे विद्यालय, जो विद्यालय पूर्व शिक्षा देते हैं, वहां ऐसी विद्यालय पूर्व शिक्षा के प्रवेश के लिए उपबंध लागू होगा : दिनांक 25.01.2007 के आदेश संख्या डीई/15/अधि0/2006/424 के अधिक्रमण में कुछ भी रहते हुए विद्यालय (अल्पसंख्यक विद्यालय सहित) जिन्हें सरकार द्वारा भूमि आंबटित की गई थी, वे निकटवर्ती क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को इस निदेशालय के दिनांक 07.01.2011 अधिसूचना में यथा उपबन्धित उसी प्रकार से प्रवेश स्तर से ऊपर अन्य कक्षाओं में किये गये सभी प्रवेशों में भी 20 प्रतिशत तक प्रवेश देंगे ।

शर्त यह है कि 20 प्रतिशत दाखिला का उक्त प्रावधान उन अल्पसंख्यक विद्यालय के प्रवेश स्तर पर भी लागू होंगे, जिनको सरकारी अभिकरण द्वारा भूमि आंबटित की गई थी ।

खण्ड 3 (कक)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा वंचित समूह श्रेणी में प्रवेश पाये विद्यार्थी दिल्ली शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के नियम 8 की शर्तों के अनुसार निःशुल्क पुस्तकें, वर्दी और लेखन सामग्री के भी पात्र होंगे और ऐसे विद्यार्थियों को इन आवश्यकताओं के लिए किसी प्रकार के प्रभार का भुगतान नहीं करना होगा ।

खण्ड 3 (कक) के पश्चात् निम्न नये खण्ड (क ख) व (क ग) प्रविष्ट किये जायेंगे, अर्थात्:-

खण्ड 3 (क ख)

सोसाईटी फॉर अनऐडिड प्राईवेट स्कूलस् ऑफ राजस्थान बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले सम्बंधी याचिका संख्या 95/2010 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 12/4/2012 के निर्णय को ध्यान में रखते हुए गैर सहायता प्राप्त अल्प संख्यक विद्यालयों पर शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

खण्ड 3 (क ग)

महिपाल सावरियां बनाम निदेशक (शिक्षा) के मामले में याचिका संख्या 6439/2011 और अशोक कुमार ठाकुर बनाम दिल्ली सरकार एवं अन्य के मामले में याचिका संख्या 3715/2011 में माननीय उच्च न्यायालय के 24.9.2012 एवं 4.12.2012 के आदेश को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यक विद्यालय जिन्हें सरकार द्वारा भूमि आबंटित की गई है, वे विद्यालय दिनांक 25.1.2007 की अधिसूचना संख्या एफ. डी.ई./15/अधि/2006/424 के शर्तों के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की श्रेणी से सम्बंधित बच्चों को 20 प्रतिशत तक निःशुल्क प्रवेश देंगे, और वे विद्यालय निःशुल्क पुस्तकें और वर्दी के ऊपर खर्च की गई राशि राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के ऊपर इन मदों पर खर्च की गई राशि के समान पुनर्भुगतान पाएंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

मधु रानी तेवतिया
30.12.13

(डॉ० मधु रानी तेवतिया)
अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

संख्या एफ.15(172)/डी.ई./अधि./2010/20109-20123 दिनांक 30/12/2013

प्रतिलिपि :

1. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
2. उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली ।
3. मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव को, दिल्ली ।
4. शिक्षा मंत्री, दिल्ली सरकार के सचिव को, दिल्ली ।
5. विशेष कार्याधिकारी मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली ।
6. सचिव (शिक्षा) दिल्ली सरकार, दिल्ली
7. निदेशक (शिक्षा), दिल्ली सरकार, दिल्ली ।
8. निदेशक (शिक्षा), दिल्ली नगर निगम ।
9. निदेशक (शिक्षा), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड ।
11. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली ।
12. सभी अपर निदेशक/आर डी ई/जे डी ई/डी डी ई/ए डी ई, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार ।
13. सभी शाखा प्रभारी, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार ।
14. कार्यालय अधीक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) को शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट में डालने के अनुरोध सहित ।
15. गार्ड फाइल ।

मधु रानी तेवतिया
30.12.13

(डॉ० मधु रानी तेवतिया)
अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)